न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 06 / 15 / भीलवाड़ा (2015 / 00132)

विभागीय अपील द्वारा श्री कैलाश चन्द तेली पटवारी ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 01–12–2007 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से (With Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितः– श्री कैलाश चन्द तेली पटवारी ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 9.8.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 01–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण उनके निर्णय दिनांक 8–3–2010 द्वारा किया जाकर अपीलार्थी की अपील को तत्समय निरस्त कर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के दण्डादेश दिनांक 01–12–2007 की पुष्टि की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी याची द्वारा सीसीए नियमों के नियम 34 के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के दण्डादेश दिनांक 01–12–2007 एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर के अपीलीय निर्णय दिनांक 8–3–2010 के विरूद्ध एक याचिका प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण महामहिम महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–5–2015 किया जाकर अपने आदेश द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर के अपीलीय आदेश दिनांक 8–3–2010 को अपास्त करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे राजस्थान सिविल सेवाएं (अपील, नियंत्रण, वर्गीकरण) नियम 1958 में वर्णित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए जांच प्रतिवेदन व अभिलेख का सम्यक अवलोकन व विवेचन कर आरोपित कार्मिक को प्रस्तावित दण्ड पर अभ्यावेदन पेश करने का अवसर देने के उपरान्त समस्त अभिलेख के तर्कसंगत रूप से विवेचन उपरान्त उचित दण्ड से दण्डित करने पर विचार करते हुए नये सिरे से युक्तिसंगत आदेश पारित करे। महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश दिनांक 27–5–2015 संयुक्त शासन सचिव

राजस्व ग्रुप–1 विभाग जयपुर के द्वारा प्राप्त होने पर अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये।

महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 27–5–2015 में दिये गये निर्देशों की पालना में प्रकरण का मय उपलब्ध रेकार्ड का पुनः सम्यक अवलोकन किया गया जिसके आधार पर संक्षिप्त में निम्न तथ्य इस प्रकार है किः–

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 23.12.2006 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आप श्री कैलाश चन्द तेली दिनांक 26–6–2004 से निरन्तर पटवार मण्डल ईरास के पद पर कार्यरत है। आप प्रशासन आपके द्वान अभियान 2004 के दौरान दिनांक 29–11–2004 एवं 30–11–2004 को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के केम्प आमेसर में उपस्थित रहकर अपने मुख्यालय पटवार मण्डल ईरास से अनुपस्थित रहे, आपके यह कृत्य दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप संख्या–दो

यह है कि उपर्युक्त कालावधि में आप दिनांक 30–11–2004 को कैम्प आमेसर में अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहे तथा अपने रिश्तेदार गोपी पिता नाथू तेली निवासी आमेसर के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर से रिपोर्ट की जिसके लिएआप अधिकृत नहीं थे। इस प्रकार आपने अपने पद व प्रभाव का दुरूपयोग किया है जो दुराचरण की परिभाषा में आता है।

आरोप संख्या–तीन

यह है कि उपर्युक्त कालावधि में आपने अपने रिश्तेदार गोपी पिता नाथू तेली निवासी आमेसर के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र पर धारित भूमि की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं कर तथ्यों को छिपाकर राजकीय कार्य के प्रति धोखादेही की है तथा भूमि का रकबा कम दर्ज किया है। श्री गोपी के हिस्से में ग्राम आमेसर के खाता नम्बर 258 में हिस्सा 1 बटा 7, खाता नम्बर 33 में 1 बटा 3 तथा खाता नम्बर 239 में हिस्सा 1 बटा 14 से कुल 0.13 है0 सिंचित, 0.13 है0 नहरी व 0.78 है0

असिंचित कुल 1.04 है0 भूमि आती है जबकि आपने अपनी रिपोर्ट में 0.20 है0 सिंचित एवं 0.70 है0 असिंचित कुल 0.90 है0 भूमि होना दर्ज कर गंभीर अनियमितता की है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 09–4–2007 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया तथा आदेश पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने (With Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 01–12–2007 सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित कर दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/एफ6 कार्मिक (क–3) 79 दिनांक 26–3–1980 जारी कर आरोपों को निर्धारित करने से पूर्व प्राथमिक जांच कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी से प्राथमिक जांच नहीं करवाई गई है इसके समर्थन में A.I.R.1976 (S.C.) पृष्ठ 2277, A.I.R.1976 (S.C.) पृष्ठ 2037 में बिना प्राथमिक जांच कराये आरोप पत्र जारी करने को विधिसम्मत नहीं माना गया है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने कोई शिकायत नहीं की है इसलिए विभागीय जांच प्रारम्भ करने का कोई आधार ही नहीं था। बिना उद्देश्य एवं कोई घटना घटित नहीं होने पर भी आरोप पत्र जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध है।

उनका यह भी कथन है कि सीसीए नियम 16 (2) के तहत आरोप पत्र तैयार कर कर्तचारी के नाम जारी करने की व्यवस्था है इन प्रावधानों में यह स्पष्ट अंकित है कि आरोप स्पष्ट होने चाहिए तथा आरोप पत्र पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है वो अस्पष्ट व पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रशासन आपके द्वार

अभियान किस तारीख को आयोजित हुआ। राज्य सरकार का आदेश कौन सा था, राजस्व अधिकारी कौन थे। यह आरोप किस शिकायत, निरीक्षण के दौरान उजागर होकर किस अनियमितता पर आधारित है स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अस्पष्ट एवं अपूर्ण आरोपों के आधार पर निम्न रूलिंग्स आई.एल.आर. 1977 (राज0) पृष्ट 27, एवं 1979 (1) एस.एल.आर. पृष्ठ 1220 से ऐसे दण्डादेशों को निरस्त किया गया है। आवंटन का मामला वर्ष 2004 का है परन्तु अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप पत्र दिया गया है वह 23–12–2006 अर्थात घटना के तीन वर्ष पश्चात दिया गया है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण में मोहन भाई डूंगर भाई परमार बनाम वाई.वी. झाला 1980 लैब ।.c. 89 (गुजरात) के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि क्या डेढ़ वर्ष की देरी अपने आप में युक्तियुक्त अवसर का हनन नहीं है। माननीय न्यायालय ने अभिनिर्णित किया है कि विलम्ब घातक है और युक्तियुक्त अवसर तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन है। उक्त प्रकरण में घटना के तीन वर्ष पश्चात आरोप दिया गया है इसलिए पूरी जांच व दण्डादेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से पारित दण्डादेश निरस्तनीय है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट के नाम दिनांक 23–12–2006 को ज्ञापन के साथ आरोप पत्र संलग्न कर 15 दिवस में प्रतिउत्तर मांगा। अपीलांट ने आरापों से संबंधित दस्तावेजों की नकले चाही थी जिससे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में देरी होने से जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना सीधे ही उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16(3) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के लिए अभिलेख के निरीक्षण करने व प्रतियां प्राप्ति का अवसर दिया जायेगा। इसी प्रकार नियम 16(4) में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने की व्यवस्था दी गई है। इसी के तहत नकले प्राप्त कर ही जवाब प्रस्तुत कर पाना संभव था लेकिन जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट से जवाब प्राप्त किये बिना ही आगे कार्यवाही प्रारम्भ करने से आज्ञापक नियमों की पालना नहीं करने से उक्त आधार पर राज्यादेश निरस्तनीय है जिसका ए.आई.आर. 1961 (एस.सी.) पृष्ठ 493 रूलिंग्स में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उनके द्वारा पारित निर्णय अपील 9/2005/आनि/जमना पिता मूलचन्द बनाम गोपी पिता नाथू तेली के प्रकरण में दिनांक 22–2–2006 को दिये गये निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए

आरोप पत्र जारी किये है इस निर्णय में ही जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपीलांट को दोषी मान लिया । ''श्री कैलाश चन्द तेली हलका पटवारी जो कि अन्य पटवार सर्किल पर तैनात होते हुए भी मुकाम आमेसर में आवंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहकर स्वयं के हस्ताक्षरों से अप्रार्थी नम्बर 1 के आवेदन पर धारित भूमि के बारे में सभी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर तथा सलाहकार समिति को धोखे में रखकर अपने रिश्तेदार के पक्ष में आवंटन कराया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर राजकार्य के प्रति धोखादेही की गई जिससे श्री कैलाश चन्द तेली हलका पटवारी प्रथम द्रष्टया दोषी प्रतीत होता है'' यह निर्णय आज्ञापक है जबकि राजस्व अधिकारी की अधिकारिता में केवल किसी कार्यवाही हेतु अभिशंषा की जा सकती है। इससे पूर्वाग्रह होना प्रमाणित होता है। जांच अधिकारी ने भी जांच में सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आज्ञापक नियमों की पालना नहीं की है। नियम 16(4)(क) में व्यवस्था है कि जैसे ही कर्मचारी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तो जांच अधिकारी उस कर्मचारी को उसके विरूद्ध स्थापित आरोप सुनाएगा तथा उनसे पूछेगा उन्हें आरोप स्वीकार है या नहीं जबकि जांच अधिकारी ने अपीलांट को आरोप नहीं सुनाएं। इस प्रकार आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई है जिसका उल्लेख (1) रूलिंग्स ए.आई.आर 1961 (एस.सी) पृष्ठ 1070 जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम म0प्र0 राज्य, (2)ए.आई.आर 1959 (एम.पी) पृष्ठ 404 लेखराम शर्मा बनाम म0प्र0 राज्य में किया गया है। जांच अधिकारी ने सीसीए नियम 16 (6)(क) के प्रावधानों की पालना भी नहीं की है। विभागीय पैरोकार ने उनके समक्ष गवाहों एवं दस्तावेजों की सूचियां भी पेश की थी या नहीं उसकी प्रति जांच अधिकारी ने अपीलांट को नहीं दिलवाई है। इसका उल्लेख (1) रूलिंग्स 1969 एस.एल.आर. पृष्ठ 667 कृष्ण गोपाल गोदारा बनाम सरकार , (1) 1980 आर.एल.डब्लयू पृष्ठ 168 सूर्य प्रकाश गोठवाल बनाम सरकार में किया गया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माना है। आरोप संख्या 2 केम्प आमेसर में अनाधिकृत रूप सें उपस्थित रहने तथा अपने रिश्तेदार के आवंटन प्रार्थना पत्र पर बिना अधिकृत होने पर रिपोर्ट करने से संबंधित है। इस बारे में कृपया जांच अधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन फरमाएं। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप संख्या 2 में वर्णित किया है कि आवेदक अपीलांट का रिश्तेदार है? किस आधार पर कुछ भी फाईडिग नहीं दी गई है। उन्होंने रिपोर्ट में यह प्रमाणित भी नहीं माना है कि आवेदक पटवारी का रिश्तेदार है। जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 2 के इस भाग को भी प्रमाणित नहीं माना है कि अपीलांट अनाधिकृत रूप से कैम्प में गया था। जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 2 के निष्कर्ष में स्पष्ट कर

दिया था कि अपीालंट दिनांक 30–11–2004 को कैम्प में हलका गिरदावर के आदेश से ही गया था। अपीलांट ने कैम्प में हलका गिरदावर के लिखित आदेशों से ही उपस्थित होकर कार्य किया है। किसी भी सरकारी गवाह ने आवेदक को दोषी का रिश्तेदार होना प्रकट नहीं किया है और जिन्होंने दबाव में किया वे रिश्तेदारी को परिभाषित नहीं कर पाये हैं कि अपीलांट का उनसे क्या रिश्ता था। केवल लिपिकीय रकबांकन त्रुटि से ही असहनीय दण्ड देना विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कहना है कि अपीलांट को राजस्व कैम्प में लगाया गया था तो अपीलांट का यह दायित्व था कि वह पटवारी के दायित्व का सारा काम करे। अपीलांट ने लगभग 40 आवंटन प्रार्थना पत्रों पर ऐसी ही रिपोर्ट की थी। उन रिपोर्टो को तो मान लिया गया केवल इस रिपोर्ट के लिए अनाधिकार बताकरउस रिपोर्ट को नहीं मानते हुए अपीलांट को दण्डित किया गया है जो नियम विरूद्ध है।

अपीलांट का आरोप संख्या 3 के बारे में कथन है कि राजस्व केम्प में केवल आवेदक व उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही पटवारी रिपोर्ट करता है। आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि का सम्पूर्ण विवरण नहीं दिया था। शिविर में जमाबंदी ग्रामवार एक होकर तीनों पटवारी बारी–बारी से अवलोकन कर रहे थे। अपीलांट ने पटवार मण्डल आमेसर में श्री कन्हैयालाल चोटिया के निर्देशों के अनुसार ही आवंटन प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट की थी। चूंकि अपीलांट को केवल राज्य सेवा में आए एक वर्ष ही हुआ था इसलिए उन्होंने अन्य पटवारियों से जानकारी कर सिंचित भूमि के दुगनी मन में मानी जाकर सिंचित 0.20 को 2 से गुणा कर 0.40 है0 तथा असिंचित 0.70 है0 कुल भूमि 1.10 हैक्टर अंकित की गई। राज्य सरकार ने आवंटन के लिए 3 है0 भूमि धारक काश्तकार को भूमिहीन मानकर भूमि आवंटित करने के लिए पात्र माना है। इस प्रकार अपीलांट ने आवंटन प्रार्थना पत्र पर जो रिपोर्ट की है उसके अनुसार भी आवेदक आवंटन की पात्रता के अधीन था क्योंकि उसके पास 3 हैक्टर भूमि से कम भूमि थी। इस प्रकार अपीलांट की रिपोर्ट से आवेदक को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। भूमि की गणना में मात्र लिपिकीय त्रुटि हुई है जो साधारण है जिसके लिए अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अपूर्ण कार्यवाही कर दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकना विधिविरूद्ध है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है। जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 3 में यह निष्कर्ष दिया है कि पटवारी ने 0.20 है0 सिंचित एवं 0.70 है0 असिंचित कुल 1.10 है0 भूमि दर्ज की है। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि पटवारी ने सिंचित भूमि को डबल नहीं किया है किन्तु योग करते वक्त सिंचित भूमि को डबल करके 1.10 है0 भूमि अंकित की है। यदि सिंचित का डबल करके उसकी गणना की जावे तो कुल 1.29 है0 होती है। जांच

अधिकारी का निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि अपीलांट ने केवल गणनांकन में त्रुटि की है। अपीलांट की रिपोर्ट की जांच नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सरपंच, प्रधान व विकास अधिकारी ने की है। यदि गणना में त्रुटि थी तो अधिकारीगण अपीलांट की रिपोर्ट को दुरूस्त कर सकते थे किन्तु नहीं की गई । केवल अपीलांट को ही दण्डित किया गया है। अपीलांट ने केवल हलका पटवारी से पूछते हुए ही उनके दिशा निर्देशों के तहत कार्य किया है तथा कैम्प में उपस्थित राजस्व अधिकारियों ने भी स्वतंत्र कार्य कर समय पर सम्पादन करने के लिए मौखिक निर्देश दिये थे। इसी कारण मेरे हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट को आवंटन कमेटी एवं स्वयं तहसील राजस्व अधिकारी ने कार्यवाही में सम्मिलित एवं स्वीकार किया अन्यथा उसी समय हलका पटवारी के हस्ताक्षर कराने के निर्देश देते। अपीलांट पर लगाये गये तीनों आरोप निराधार होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01–12–2007 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि अपीलार्थी ने प्रकरण में उनके विरूद्ध स्थापित आरोपों से पूर्व प्राथमिक जांच नहीं करवाने बाबत एतराज किया है इस संबंध में एक उनवान प्रकरण संख्या 9/05 श्री जमना पि0 मूलचन्द शर्मा बनाम श्री गोपी पि0 नाथू तेली न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में चला जिसके निर्णय दिनांक 22.2.2006 में अप्रार्थी को आवंटन करवाने में प्रथम दृष्टया पटवारी को दोषी पाये जाने के कारण तथा न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने से पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है जो उचित है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी पक्षकार ने कोई शिकायत नहीं की इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। उक्त प्रकरण में अपीलांट को आवंटन करवाये जाने में अनियमितता करने एवं तथ्य छिपाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अपीलांट के विरूद्ध मामला उजागर होते ही उसके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच कार्यवाही की गई है जो पूर्णतः उचित है। पटवारी को पटवार मण्डल आमेसर का पटवारी नहीं होते हुए अपने हस्ताक्षर से आवंटन प्रार्थना पत्र पर गलत रिपोर्ट अंकित करने के कारण ही दण्डित किया गया है जो पूर्णतः उचित है। अभियान में अन्य पटवारियों की ड्यूटी मुख्य पटवारी के सहयोग हेतु लगाई जाती है। आवंटन प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट जैसे प्रकरणों में हलके के पटवारी को ही रिपोर्ट अंकित करना होता है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने तथ्यों को छिपाकर गलत रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर अंकित की है जिसके लिए उसे दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप संख्या 2 व

3 प्रमाणित पाये जाने के कारण ही उसे दण्डित किया गया है जो पूर्णतः उचित होकर अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपने आदेश दिनांक 01–12–2007 द्वारा श्री कैलाश चन्द तेली पटवारी ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (With Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपचारी पटवारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर सीधे उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। जांच अधिकारी ने भी अपीलांट की सुनवाई की औपचारिकता पूर्ण कर बिना कुछ सुने व दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित कर दी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध प्रमाणित नहीं माना है। आरोप संख्या 2 केम्प आमेसर में अनाधिकृत रूप सें उपस्थित रहने तथा अपने रिश्तेदार के आवंटन प्रार्थना पत्र पर बिना अधिकृत होने पर रिपोर्ट करने से संबंधित है। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप संख्या 2 में वर्णित किया है कि आवेदक अपीलांट का रिश्तेदार है? किस आधार पर कुछ भी फाईडिग नहीं दी है। उन्होंने रिपोर्ट में यह प्रमाणित भी नहीं माना कि आवेदक पटवारी का रिश्तेदार है। जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 2 के इस भाग को भी प्रमाणित नहीं माना है कि अपीलांट अनाधिकृत रूप से कैम्प में गया था। अपीलांट दिनांक 30–11–2004 को कैम्प में हलका गिरदावर के आदेश से ही गया था। अपीलांट ने कैम्प में हलका गिरदावर के लिखित आदेशों से ही उपस्थित होकर कार्य किया है। किसी भी सरकारी गवाह ने आवेदक को दोषी का रिश्तेदार होना प्रकट नहीं किया है और जिन्होंने दबाव में किया वे रिश्तेदारी को परिभाषित नहीं कर पाये हैं कि अपीलांट से उनका क्या रिश्ता था। अपीलांट को भूमि आवंटन में केवल लिपिकीय रकबांकन त्रुटि होने से ही दण्डित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राज्य सरकार ने राजस्व केम्प के दौरान आवंटन के लिए 3 है0 भूमि धारक काश्तकार को भूमिहीन मानकर भूमि आवंटित करने के लिए पात्र माना है। इस प्रकार अपीलांट ने आवंटन प्रार्थना पत्र पर जो रिपोर्ट की है उसके अनुसार भी आवेदक आवंटन की पात्रता के अधीन था क्योंकि उसके पास 3 हैक्टर भूमि से कम भूमि थी। इस प्रकार अपीलांट की रिपोर्ट से आवेदक को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। आरोप संख्या 2 में अंकित व्यक्ति अपीलांट का कोई रिश्तेदार नहीं था। अपीलांट अपनी मनमानी से नहीं अपितु हलका गिरदावर के आदेश से ही केम्प में उपस्थित हुआ था।

अपीलांट द्वारा जिस रकबे का अंकन किया गया है वह एक लिपिकीय भूल है जिसके आधार पर अपीलांट को इतने कठोर दण्ड से दण्डित करना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा पटवारी हलका आमेसर से पूछकर ही प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट की गई थी चूंकि अपीलांट तत्समय राजकीय सेवा में नया था तथा एक वर्ष की ही सेवा पूर्ण की थी। अपीलांट द्वारा आवंटन गणना में त्रुटि की थी तो उच्चाधिकारियों को जांच कर तत्समय ही दुरूस्त किया जाना चाहिए था इसके लिए केवल मात्र अपीलांट को ही दण्डित करना विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आवंटन का मामला 2004 का है तथा अपीलांट को आरोप पत्र 23.12.2006 को लगभग तीन वर्ष पश्चात दिया जाकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर 1–12–2017 को दण्डित किया गया है। रिकार्ड के आधार पर अपीलांट पर कोई दोष नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा पटवारी हलका आमेसर के कहने पर प्रार्थना पत्र पर रेकार्ड की रिपोर्ट की गई। आवेदक का अपीलांट का कोई रिश्तेदार होना प्रमाणित नहीं था। अपीलांट से केवल गणना मात्र में त्रुटि हुई है जिसके लिए उसे असहनीय दण्ड से दण्डित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट की जांच तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी की गई किन्तु दण्डित केवल मात्र अपीलांट को ही किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया है कि अपचारी पटवारी अपनी मर्जी से कैम्प आमेसर में काम नहीं कर रहा था बल्कि उसकी ड्यूटी उच्चाधिकारी गिरदावर द्वारा लगाई गई थी। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिये गये जवाब एवं दलीलों से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। अपीलांट ने केवल उच्चाधिकारियों के आदेश की पालना की है। अपचारी पटवारी को राजकीय सेवा में आए एक वर्ष ही हुआ था तथा नया होने के कारण उसके द्वारा अपने वरिष्ठ पटवारियों से पूछकर ही प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट की गई थी इसमें अपचारी पटवारी की कोई बदनियति जाहिर नहीं होती है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अपचारी पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से (With Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01–12–2007 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 01—12—2007 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर